जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 156/2016 अनवानी गुरसेब सिंह ग्रेवाल गांव अमरपुरा जाटान वायां सूरतगढ बनाम तहसीलदार, सूरतगढ

16–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अमरपुरा रोही के ख.सं. 168 के चकबंदी अभिलेख तैयार करते समय मौके के अनुरूप मुरब्बे व किले बनाने बाबत।

1. मैने ख. स. 168 में 12 बीघे जमीन खरीद कर अपने पत्र 3.6.1999 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ से सीमा ज्ञान कराना चाहा था (फोटो प्रति नत्थी) विभाग द्वारा खसरे की तरमीम न होने के कारण सीमा ज्ञान नही कराया।
2. मैने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम दिनांक 21.11.2012 को तहसीलदार सूरतगढ से रकबा आवंटित किये जाते समय कृषको को मौके पर कब्जा दे कर जो नक्शा रिकार्ड तैयार किया है की नकल मांगी थी।
3. इसके उतर मे तहसीलदार सूरतगढ ने लोक सूचना आयुक्त जयपुर को अपने पत्र 4191 दिनांक 18.11.2013 (फोटो प्रति सलंग्न) के पैरा 4 द्वारा सूचित किया कि आवंटन उपनिवेशन विभाग द्वारा किया गया था एवंम कब्जा भी उपनिवेशन विभाग द्वारा ही दिये गये थे।

   उपनिवेशन विभाग का आवंटन एवंम कब्जा संबधी रिकार्ड तहसील हाजा मे नही हाने से प्रार्थी को रिकार्ड नही होने संबधी सूचना दे दी गई थी जो सही है।

   इस से साफ जाहिर है कि मौके के अनुरूप मुरब्बें बंदी कर मुरब्बे किले बनाने के लिये सहायक भू–लेख अधिकारी के पास मूल रिकार्ड उपलब्ध नही था।
4. चक बंदी के अपर भू–लेख अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) ने अपने पत्र 5195 दिनांक 27.12.2011 द्वारा (फोटो प्रति सलंग्न) मुझे सूचित किया है कि धारा 110 (1व 2) के अधीन खेतो की सीमायो को चिन्हित नही किया गया है।
5. चक बंदी दस्तावेज में मेरे को ख.स. 168 जिस का तरमीम नही हुआ है मुझे मु. न. 64/387 के किला 1 व 5 व 8व10 (8बीघे) व मु.न. 65/387 के किला न. 4 ता 7 (4 बीघे) फिट किये है। यह 12 बीघे जिस दस्तावेज/नक्शा/लठा शीट/रिकार्ड के आधार पर फिट किये गये है कि नकल सूचना दी जावे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई बिन्दू सं0 5 की सूचना तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा उपलब्ध नही करवाई है जबकि चाही सूचना उनके विभाग में उपलब्ध है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 6879 दिनांक 15.11.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 22.08.2016 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी ने चकबन्दी (बंदोबस्त) से संबंधित अभिलेख चाहा है जिससे संबंधित उपलब्ध एवं संधारित कार्यालय अभिलेख सूचि न0 4 व 8 एवं पर्चा खतोनी की अपीलार्थी को नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क संदाय करने पर उपलब्ध करवाने के लिए उनके कार्यालय के पत्र सं0 6194 दिनांक 19.09.2016 द्वारा लिखा गया है।

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा अपने पत्र सं0 6194 दिनांक 19.09.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

आप द्वारा प्रार्थना–पत्र के बिन्दु सं. 01 से 04 के तथ्यों का वर्णन किया जिसके अन्तर्गत आप द्वारा कोई सूचना नही चाही गई है।

बिन्दु संख्या 5 में आप द्वारा ख.नं. 168 से मु.नं. 64/387 के कि.नं. 1 ता 5, 8 ता 10 व मु.नं. 65/387 के कि.नं. 4 ता 7 आपको फिट किए गए से संबधित दस्तावेज चाहा है। कार्यालय में उक्त से संबंधित उपलब्ध अभिलेख ग्राम अमरपुरा जाटान की सूची नं. 4 व 8, पर्चा खतौनी ग्राम 12 एसएलडी की कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित आकर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर प्राप्त की जा सकती है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 1 से 4 में कोई सूचना नही चाही गई है। बिन्दु सं0 5 की सूचना के लिए तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा ख. न. 168 से मु.नं. 64/387 के कि.नं. 1 ता 5, 8 ता 10 व मु.नं. 65/387 के कि.नं. 4 ता 7 आपको फिट किए गए से संबधित उपलब्ध अभिलेख ग्राम अमरपुरा जाटान की सूची नं. 4 व 8, पर्चा खतौनी ग्राम 12 एसएलडी की कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित आकर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर प्राप्त करने के लिए लिखा है। अपीलार्थी को चाहिए था कि बिन्दु सं0 5 की सूचना के संबंध में उक्तानुसार प्रतिलिपि शुल्क संदाय कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 19.09.16 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी बिन्दु सं0 5 की सूचना के लिए प्रतिलिपि शुल्क संदाय कर दे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उन्हे यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और वह उपलब्ध अभिलेख में से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)